

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 866/2024

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No.3066/2023

Mansingh Son Of Narayan Singh, Resident Of Karad Police
Station Dataramgarh, District Sikar (Raj) (Accused Appellant
Presently Confined In District Jail Sikar)

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. S, R/o

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Shiv Kumar Mr. Kishan Singh Chauhan
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P. Mr. Vikram Singh Panwar

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

09/03/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त मान सिंह की ओर से विचारण न्यायालय—विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, क्रम संख्या—2, सीकर द्वारा विशिष्ट सेशन प्रकरण सीआईएस संख्या—70/2019, सरकार बनाम मान सिंह एवं अन्य में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 27.07.2023 के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम बीस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को इस प्रकरण में 20 वर्ष के कारावास के दण्ड से दंडित किया गया है, उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी-अभियुक्त लम्बी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा उसकी अभिरक्षा अवधि करीब साढ़े छह वर्ष से अधिक की हो चुकी है। उनका यह भी तर्क है कि गवाहान के कथनों में विरोधाभास है। अनुसंधान के दौरान पीड़िता के बयान प्रदर्श डी-1 अंतर्गत धारा 161 द0प्र0सं0, बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 प्रदर्श पी-6 एवं विचारण के दौरान जो बयान हुए हैं, उक्त तीनों बयानों में पीड़िता के कथनों में तात्त्विक विरोधाभास विद्यमान हैं। पीड़िता द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्त रविशंकर शर्मा के विरुद्ध आक्षेप लगाए हैं तथा अन्य अभियुक्त रवि शंकर शर्मा को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त घोषित किया गया है, विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त साक्ष्य एवं तथ्यों का समग्र रूप से विवेचन विश्लेषण नहीं किया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक एवं योग्य अधिवक्ता परिवादी ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त रवि शंकर शर्मा को दोषमुक्त घोषित किया गया है, जिसके विरुद्ध उन्होंने अपील भी पेश कर रखी है, अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, अनुसंधान के दौरान लेखबद्ध की गई पीड़िता की धारा 161 एवं 164 द0प्र0सं0 की साक्ष्य एवं विचारण के दौरान लेखबद्ध पीड़िता की साक्ष्य एवं अन्य गवाहान की आई साक्ष्य तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, अतः पीड़िता के उक्त

तीनों बयानों की प्रकृति, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/-रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000-25000/-रुपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **09.04.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **मान सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J